अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 265 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 | web: www. andaman.gov.in | 2.00 रूपए

एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी द्वारा आज राज निवास परिसर में, ''एक पेड़ माँ के नाम'' के तहत देशव्यापी सेवा पखवाड़ा पहल के अंतर्गत चल रहे मसाला प्रवाह के एक भाग के रूप में, लौंग के पौधे का औपचारिक रोपण किया गया। इस पहल का उद्देश्य मसाला खेती को बढ़ावा देना और मसाला क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करना है।

लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, पीएचडी, कमांडर–इन–चीफ, अण्डमान तथा निकोबार कमान ने सामरिक बल कमान (एसएफसी) के कमांडर–इन–चीफ का पदभार ग्रहण करने से पहले, आज राज निवास में एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी से विदाई भेंट की। माननीय उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कमांडर–इन–चीफ एसएफसी के रूप में उनके आगामी कार्यभार के लिए शुभकामनाएँ दीं।

समुद्र तट पर्यटन नीति और समुद्र तट पर्यटन दिशानिर्देशों का मसौदा पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

लोगों, पर्यटन हितधारकों, विभागों से सुझाव, टिप्पणियां, इनपुट आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने प्राचीन समुद्र तटों और असाधारण जैव विविधता के लिए समुद्र तट पर्यटन दिशानिर्देश–2025 और समुद्र तट पर्यटन नीति–2025 का मसौदा तैयार किया है। ये नाजुक समुद्री द्वीप उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदानों के दुर्लभ मिश्रण की मेज़बानी करते हैं। कुल 836 द्वीपों में से केवल 31 पर ही लोग रहते हैं, जिससे द्वीपसमूह का विशाल भाग अपनी प्राकृतिक अवस्था में बना रहता है। 1,962 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ, ये द्वीप दुनिया के कुछ सबसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और देखने में शानदार समुद्र तटों का घर हैं।

हाल के वर्षों में, द्वीपों में पर्यटन, विशेष रूप से समुद्र तट पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिससे उल्लेखनीय आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं। हालाँकि, इस तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर दबाव भी बढ़ा है। अनियमित पर्यटन से तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों दोनों की बढ़ती संख्या दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति से बचने के लिए सक्रिय और संरचित प्रबंधन की मांग करती है।

समुद्र तट पर्यटन नीति इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए विकसित की गई है, जो टिकाऊ, समावेशी और विनियमित पर्यटन के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। चूँकि द्वीप का अधिकांश क्षेत्र वन है और अधिकांश समुद्र तट आरक्षित वनों और संरक्षित क्षेत्रों में हैं, इसलिए उनकी पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह नीति संरक्षण, सामुदायिक सशक्तिकरण और उत्तरदायी पर्यटन प्रथाओं पर ज़ोर देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट भावी पीढ़ियों के लिए जीवंत और संरक्षित रहें।

समुद्र तट पर्यटन नीति और समुद्र तट पर्यटन दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक डोमेन में, अर्थात् सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट **https://tourism.andamantourism.gov.in** पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जहाँ आम जनता, पर्यटन हितधारकों, विभिन्न विभागों आदि से सुझाव/टिप्पणियाँ/इनपुट मांगे जा रहे हैं।

पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सभी मूल्यवान टिप्पणियाँ/सुझाव/इनपुट 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक 30 दिनों की अवधि के भीतर निदेशक सूचना, प्रचार और पर्यटन, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, कामराज रोड, श्री विजय पुरम को लिखित रूप में या **thedirectortourism@gmail.com** पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

दक्षिण अण्डमान की ज़िला योजना समिति की बैठक 7, 8 और 9 अक्टूबर को

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

दक्षिण अण्डमान जिले (कैम्पबेल बे राजस्व क्षेत्र सहित) की जिला योजना समिति की बैठक, श्री प्रकाश अधिकारी, अध्यक्ष, जिला परिषद, दक्षिण अण्डमान की अध्यक्षता में 7, 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में जिला योजना समिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन विभागों के विभागाध्यक्ष भाग लेंगे, जिसमें अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों, जिनमें दक्षिण अण्डमान ज़िले के पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, की 3 वर्षीय वार्षिक कार्य योजना 2026–2029 और अनुपूरक कार्य योजना 2025–2026 के प्रस्तावों पर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विचार–विमर्श किया जाएगा–

- 7 अक्टूबर, 2025: स्वास्थ्य विभाग, एपीडब्ल्यूडी, विद्युत, ज़िला प्रशासन, कृषि, ग्रामीण विकास/पंचायती राज, जहाजरानी, पीएमबी, उद्योग, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, एसवीपीएमसी।
- 8 अक्टूबर, 2025: मत्स्य, कला एवं संस्कृति, आईटी, शिक्षा, जेएनआरएम, एनकॉल, डीब्राइट, टैगोर कॉलेज, लॉ कॉलेज, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं वन, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, रोज़गार एवं प्रशिक्षण, परिवहन, आरसीएस विभाग।
- 9 अक्टूबर, 2025: पुलिस एवं अग्निशमन विभाग, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन, राजकीय मुद्रणालय, नागरिक उड्डयन, खेल एवं युवा मामले, न्यायपालिका, ज़िला जेल, जनजातीय कल्याण, कार्मिक (नकद), वेतन एवं लेखा, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग शामिल हैं।

दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त ने नगरपालिका वार्ड संख्या 15, 17 और 24 में सड़कों का व्यापक निरीक्षण किया

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी) ने आज वार्ड संख्या 15, 17 और 24 में सड़कों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा (आईएएस) ने किया, जिसमें एसवीपीएमसी के सचिव श्री अज़हरुद्दीन ज़हीरुद्दीन क़ाज़ी (आईएएस) और परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

यह निरीक्षण संबंधित वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में मौजूदा सड़कों की स्थिति, चल रहे मरम्मत कार्यों का आकलन करने और भविष्य के विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया। टीम ने निवासियों के लिए बेहतर नागरिक बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने हेतु सड़क रखरखाव, जल निकासी और जन सुविधा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की।

दौरे के दौरान, उपायुक्त ने जन सुरक्षा और आवागमन को आसान बनाने के लिए मरम्मत और सुधार कार्यों के समय पर निष्पादन के महत्व पर ज़ोर दिया। एसवीपीएमसी के सचिव ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को चिन्हित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने और रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार वार्ड पार्षदों ने प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों की सराहना की और वार्ड स्तर पर जन शिकायतों के समाधान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद ने शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और सभी वार्डों के निवासियों के लिए कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

पुरस्कार वितरण समारोह के साथ फिल्म निर्माण कार्यशाला सम्पन्न

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

कला एवं संस्कृति निदेशालय ने इंटैक अण्डमान तथा निकोबार चैप्टर और अण्डमान आइलैंड फिल्म सोसाइटी के सहयोग से मुंबई के प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री तन्मय नाग के साथ 'फिल्म निर्माण कार्यशाला' का आयोजन किया था। तीन दिवसीय कार्यशाला में कुल 26 फिल्म निर्माण प्रेमियों ने भाग लिया, जिसमें श्री नाग ने पटकथा लेखन, निर्देशन और अभिनय की बारीकियाँ सिखाईं।

प्रमाण पत्र वितरण समारोह यहां के मिडिल प्वाइंट स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सचिव (कला एवं संस्कृति) श्रीमती ज्योति कुमारी (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने श्री नाग के साथ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने

शेष पृष्ठ 4 पर

मसाला अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास

द्वीप सुगंध ब्रांड के तहत मसालों की खरीद के लिए उपलब्धता का आकलन हेतु मूल्यांकन अभ्यास

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का कृषि विभाग, द्वीप सुगंध ब्रांड के तहत मसालों की खरीद के लिए उपलब्धता का आकलन करने हेतु मूल्यांकन अभ्यास कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य उन किसानों और स्वयं सहायता समूहों की पहचान करना है, जिनके पास उत्पाद उपलब्ध हैं और जो जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले जैसे कि असली दालचीनी, लौंग, जयफल, जावित्री, काली मिर्च और सफेद मिर्च की आपूर्ति करने में रुचि रखते हैं।

जो किसान और स्वयं सहायता समूह अपनी उपज की उपलब्धता और तैयारी बताना चाहते हैं, वे कृपया किसान कॉल सेंटर से 03192 243434, 1800 345 1145 पर संपर्क कर सकते हैं और मसालों के प्रकार, अपेक्षित मात्रा और उपलब्धता की अवधि के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। मसालों की जानकारी देने के लिए कॉल 30 अक्टूबर, 2025 तक की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपूर्ति आकलन के उद्देश्य से है। इसके बाद, स्वयं सहायता समूहों और किसानों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक संरचित खरीद योजना तैयार की जाएगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मसाला प्रवाह मिशन के तहत यह आकलन गुणवत्तापूर्ण उपज की उपलब्धता और बाज़ार से जुड़ी पहलों में किसानों की रुचि को बेहतर ढंग से समझकर द्वीप समूह की मसाला अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है।

बाल यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की सज़ा हुई

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

माननीय विशेष न्यायाधीश, श्री विजय पुरम, श्री नेयाज़ आलम ने 23 सितंबर, 2025 को यौन उत्पीड़न के एक जघन्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

शेष पृष्ठ 4 पर

पोक्सो मामले में आरोपी को हुई 20 साल के कठोर कारावास की सजा

मायाबंदर, 29 सितंबर

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस न्याय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए यौन अपराधों के दोषियों के खिलाफ त्वरित और दृढ़ कार्रवाई

शेष पृष्ठ 4 पर

ज़िला प्रशासन ने मिट्टी के अवैध निष्कर्षण और डंपिंग के खिलाफ जुर्माना लगाया

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने भूमि राजस्व नियमों और खान एवं खनिज नियमों का उल्लंघन करते हुए मिट्टी के अवैध निष्कर्षण और डंपिंग में लिप्त उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में अस्टीनाबाद गाँव में क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान, राजस्व अधिकारियों ने मिट्टी के निष्कर्षण और परिवहन से जुड़ी अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाया, जिसे बाद में ब्रिचगंज गाँव में डंप किया गया। आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना लगभग 25 घन मीटर मिट्टी का अवैध रूप से निष्कर्षण किया गया था। उल्लंघनकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उपायुक्त ने अवैध खनन, मिट्टी परिवहन और अनधिकृत डंपिंग में लिप्त सभी बेईमान तत्वों को कड़ी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने दोहराया है कि ऐसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना काम करेगा और जो लोग इसे दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में आम जनता

शेष पृष्ठ 4 पर

निकोबार ज़िले में मना विश्व रेबीज़ दिवस

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

निकोबार ज़िले में विश्व रेबीज़ दिवस मनाया गया, जिसमें रेबीज़ की रोकथाम और पालतू जानवरों के ज़िम्मेदाराना स्वामित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निकोबार ज़िले के उपायुक्त श्री अमित काले (आईएएस) और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनजातीय परिषद के सचिव श्री मार्टिन लूथर उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक जीवंत नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़ नाटक) से हुई, जिसमें समय पर टीकाकरण और रेबीज़ से बचाव के उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। जागरूकता अभियान को मज़बूत करने के लिए, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलजीत कौर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनवर मूसा ने रेबीज़ के संचरण और रोकथाम पर जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिए। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें होमगार्ड के 79 प्रशिक्षु, विभिन्न विभागों के अधिकारी, आईटीआई के छात्र, स्कूली छात्र और पालतू जानवरों के मालिक शामिल थे, जिन्होंने मुफ़्त टीकाकरण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने पालतू जानवरों को साथ लाया था। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने निःशुल्क एंटी-रेबीज़ टीके उपलब्ध कराए, जबकि पेट्स पैनेशिया ने भी टीकों की आपूर्ति का एक हिस्सा प्रायोजित किया। ज़िम्मेदार पालतू जानवरों की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए, टीका लगाए गए पालतू जानवरों को निःशुल्क ट्रीट और शैम्पू किट उपहार में दिए गए, जिनका उदारतापूर्वक पेट शॉप, फीनिक्स बे द्वारा प्रायोजन किया गया। एक अनूठी पहल के रूप में, आईटीआई के छह छात्रों को जागरूकता फैलाने और पशु कल्याण के लिए खड़े होने में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए 'गार्जियन्स फॉर द वॉइसलेस' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

सिंधु के स्थान पर नालंदा जहाज कैम्पबेल बे जाएगा

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

यात्रियों/आम जनता को सूचित किया गया है कि सिंधु नामक जहाज में वर्तमान में तकनीकी खराबी आ रही है। परिणामस्वरूप, यह 30 सितंबर को श्री विजय पुरम से नननकौड़ी होते हुए कैंपबेल बे तक अपने घोषित कार्यक्रम और 2 अक्टूबर को कैंपबेल बे से नननकौड़ी होते हुए श्री विजय पुरम तक अपनी वापसी यात्रा नहीं कर पाएगा। हालाँकि, यात्रियों की सुविधा के लिए, सिंधु जहाज के स्थान पर नालंदा जहाज यात्रा करेगा। संशोधित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे हैवेलॉक से नननकौड़ी होते हुए कैंपबेल बे जाएगा और 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे कैंपबेल बे से नननकौड़ी होते हुए श्री विजय पुरम लौटेगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जहाज सिंधु के टिकट वाले कैंपबेल बे/नननकौड़ी जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित तिथि और समय के अनुसार उसी टिकट से जहाज नालंदा की यात्रा करें। वैकल्पिक रूप से, जो यात्री संशोधित तिथियों पर यात्रा करने में असमर्थ हैं, वे अपने टिकट रद्द कर सकते हैं और उन्हें पूरी राशि वापस मिलेगी।

ज़िला प्रशासन ने मिट्टी के अवैध ——————पृष्ठ 1 का शेष

को सलाह दी गई है कि वे भूमि उपयोग, खनन और सामग्री की आवाजाही से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करें। मिट्टी और खनिजों के अवैध डंपिंग, खनन या परिवहन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ज़िला नियंत्रण कक्ष को निर्धारित हेल्पलाइन नंबर 03192-240127 / 238881 / 1070 पर या व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर दी जा सकती है। दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन आश्वासन ने सूचना देने वालों की पहचान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह गोपनीय रखने का आश्वासन दिया है।

पुरस्कार वितरण समारोह के साथ ——————पृष्ठ 1 का शेष

लोगों को फिल्म निर्माण में शामिल होने और इन द्वीपों की असाधारण सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस कार्यशाला में प्रतिभागियों की भारी उपस्थिति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री नाग ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि उन्हें यहाँ द्वीपों में पढ़ाने में बहुत आनंद आया और बहुत जल्द अण्डमान आइलैंड फिल्म सोसाइटी और इंटैक के सहयोग से, स्थानीय फिल्म निर्माताओं को शामिल करते हुए एक बड़ी परियोजना के लिए वे यहाँ फिर से काम करने के लिए आएंगे। इंटैक, अण्डमान तथा निकोबार चैप्टर की संयोजक श्रीमती संहिता वेद आचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार महान गायिका लता मंगेशकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए, द्वीप समूह के कलाकारों, श्रीमती मणिदीपा मुखर्जी, श्री निसार मोहम्मद, श्री वज़ीम, श्री अबू और श्री राजेश घोष, श्रीमती अनन्या कारक, श्रीमती अरुणिमा घोष, श्रीमती मिनाज़ और श्रीमती संहिता वेद आचार्य ने कुछ मधुर गीत प्रस्तुत किए।

पोक्सो मामले में आरोपी को हुई ——————पृष्ठ 1 का शेष

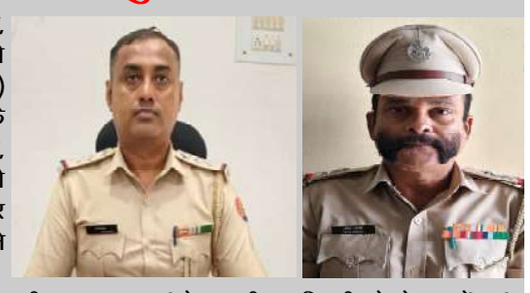

सुनिश्चित करती रही है। 25 सितंबर, 2025 को सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्री सुभाजीत बसु ने डिगलीपुर थाने के अपराध संख्या 48/2020 के संबंध में, पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत, आरोपी अजय सरकार को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

यह फैसला डिगलीपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रीतम बिहारी के नेतृत्व में जांच अधिकारी उप-निरीक्षक तमिलारासन के अथक प्रयासों का प्रमाण है। सत्य के प्रति उनकी अटूट खोज, पेशेवर कौशल और अथक परिश्रम ने पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह मामला पीड़िता के सौतेले पिता द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न से संबंधित है। पीड़िता द्वारा खुलासा किए जाने पर, डिगलीपुर थाने में पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(जे)(एम)(एन)/6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376/323 के तहत मामला दर्ज़ कर आरोपियों के खिलाफ त्वरित और समन्वित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह ऐतिहासिक निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति शून्य-सहिष्णुता का सख्त दृष्टिकोण अपनाती है और समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस संबंधित अधिकारियों के असाधारण जाँच कार्य की सराहना करती है और कानून के नियम को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और हमारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हमारे समर्पण की पुष्टि करती है।

विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस थाने या फ़ोन नंबर 100, 112 और 03192-273344 पर दें और साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।

बाल यौन उत्पीड़न मामले में ——————पृष्ठ 1 का शेष

श्री विजय पुरम के नयागाँव निवासी आरोपी संजीब मंडल को 15 साल की नाबालिग लड़की पर गंभीर यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया। इस अपराध के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई, जिससे आरोपी द्वारा विश्वासघात का गंभीर मामला उजागर हुआ।

यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी गर्भावस्था का पता चला। मामले की सूचना तुरंत अबर्डीन पुलिस थाने को दी गई, जिसके बाद पोक्सो अधिनियम की धारा 5(j)(ii)(l)(n)/6 के तहत 14 जून, 2023 को प्राथमिकी संख्या 156/2023 दर्ज़ की गई। मामले की जाँच तत्कालीन थाना अध्यक्ष गिरीश कुमार की देखरेख में उप निरीक्षक पी. जीवन ने की थी।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और डीएनए रिपोर्ट से आरोपी का अपराध निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया।

साक्ष्यों की गहन जांच के बाद, माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और कठोर सज़ा सुनाई:

- पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना और अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास।

सज़ा सुनाते हुए, माननीय न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर कड़ी टिप्पणी की और इस बात पर ज़ोर दिया कि दोषी ने विश्वास का घोर दुरुपयोग किया है, जिससे युवा पीड़िता शारीरिक और भावनात्मक रूप से आहत हुई है। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि पीड़िता को उसके पुनर्वास, कल्याण और भविष्य में सहायता के लिए 3,00,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जाए।

दक्षिण अण्डमान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय यौन शोषण के शिकार बच्चों को न्याय सुनिश्चित करने के प्रति न्यायपालिका की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ताकि पीड़िता के लिए न्याय और समाज के लिए एक निवारक दोनों का काम किया जा सके। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री ए.एस. ज़िनू ने इस मामले का प्रभावी ढंग से संचालन किया।

मायाबंदर के पास बस दुर्घटना, 11 घायल, प्राथमिकी दर्ज़

मायाबंदर, 29 सितंबर

गत 27 सितंबर, 2025 को रात लगभग 8.15 बजे, मायाबंदर थाना पुलिस को ऑस्टिन-2 गाँव, उत्तर व मध्य अण्डमान के पास एक निजी बस (आनंद बस) के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। बस श्री विजय पुरम से डिगलीपुर यात्रियों को लेकर जा रही थी। मौके पर पहुँचने पर, घायल यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया और इलाज के लिए डॉ. आरपी अस्पताल, मायाबंदर ले जाया गया। कालीघाट और डिगलीपुर जाने वाले यात्रियों की आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एसटीएस बस की व्यवस्था की गई। कुल 11 यात्री घायल हुए। उनमें से, 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें आगे के इलाज के लिए 28 सितंबर, 2025 को श्री विजय पुरम ले जाया गया, जबकि बाकी का इलाज डॉ. आरपी अस्पताल, मायाबंदर में चल रहा है। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि बस चालक तेज़ी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ऑस्टिन-2, मायाबंदर के पास एक मोड़ पर गाड़ी पलट गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मायाबंदर थाने में प्राथमिकी दर्ज़ की गई है और जाँच जारी है।

द्वीपों में मनाया गया विश्व रेबीज़ दिवस

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने स्थानीय नगर निकायों के सहयोग से कल विश्व रेबीज़ दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय, 'अभी कार्य करें: आप, मैं, समुदाय', रेबीज़ उन्मूलन में नागरिकों, पशु चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों की साझा ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में, पूरे द्वीप समूह के पशु चिकित्सालयों और पशु औषधालयों में सामूहिक नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 54 मादा स्वान की नसबंदी की गई और 120 स्वान को रेबीज़ का टीका लगाया गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिन्हें आधिकारिक तौर पर रेबीज़-मुक्त माना जाता है, जहाँ मनुष्यों या जानवरों में रेबीज़ का कोई भी पुष्ट स्थानीय मामला अब तक सामने नहीं आया है। हालाँकि, विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि रेबीज़-मुक्त होने का मतलब जोखिम-मुक्त होना नहीं है, खासकर लोगों और जानवरों की अंतर-द्वीपीय और मुख्यभूमि आवाजाही में वृद्धि के साथ।

सामुदायिक संगठनों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों ने पर्याप्त आश्रय सुविधाओं, नसबंदी और टीकाकरण अभियानों सहित आवारा स्वानों के प्रबंधन के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। निवासियों से आग्रह किया गया कि वे जानवरों के काटने की तुरंत सूचना दें और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सहयोग करें।

इस अवसर पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशक डॉ. के.ए. नवीन ने कहा कि हमारे द्वीप समूह को रेबीज़ मुक्त होने पर गर्व है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। टीकाकरण, आवारा स्वानों पर नियंत्रण और जागरूकता में जन सहयोग इस स्थिति को बनाए रखने की कुंजी है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विश्व रेबीज़ दिवस इस बात की याद दिलाता है कि समय पर टीकाकरण और देखभाल से रेबीज़ को 100 प्रतिशत रोका जा सकता है। इस वर्ष अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का संदेश स्पष्ट है कि द्वीपों को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों द्वारा सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है।

नशामुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर के युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और नशीली दवाओं की मांग में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डलळवअ प्लेटफॉर्म पर नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। प्रतियोगिताएँ तीन चरणों में आयोजित की जाएँगी: ज़िला स्तर-प्रश्नोत्तरी (25 सितंबर-24 अक्टूबर, 2025), राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर-निबंध लेखन (27 अक्टूबर-7 नवंबर, 2025) और राष्ट्रीय स्तर-भाषण/समूह चर्चा (नवंबर, 2025 का दूसरा सप्ताह)। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक स्तर के विजेताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को शामिल करना, मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। समाज कल्याण निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, छात्रों, युवाओं और संस्थानों से MyGov पोर्टल (www.mygov.in) के माध्यम से प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करता है। प्रतियोगिता के विस्तृत दिशानिर्देशों और समय-सीमा के लिए, इच्छुक प्रतिभागी www.mygov.in पर जा सकते हैं या समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं।

दक्षिण अण्डमान और मायाबंदर में उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रेताओं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, इच्छुक व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 6 अक्टूबर को

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

कृषि विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सहकारिता रजिस्ट्रार के सहयोग से उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रेताओं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह अभिविन्यास कार्यक्रम 6 अक्टूबर को क्रमशः कृषि विभाग (कृषि), दक्षिण अण्डमान और कृषि विभाग (कृषि), मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वपूर्ण अधिनियमों और नए शुरू किए गए पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) के बारे में जागरूकता पैदा करके कृषि आदान प्रणालियों को मजबूत करना है। यह किसानों और विक्रेताओं को एक खुले प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे:

- बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम और उर्वरक अधिनियम की समझ-नियामक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ।
- पीएम-केएसके और पहुँच एवं सेवाओं में सुधार में पैक्स की भूमिका पर विशेष सत्र।
- विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र।
- किसानों, पीएसी प्रतिनिधियों और लाइसेंस प्राप्त डीलरों के बीच नेटवर्किंग और ज्ञान-साझाकरण।

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी पीएसी सदस्यों और इच्छुक डीलरों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बालिका निकेतन में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया गया

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन के अंतर्गत ज़िला बाल संरक्षण इकाई ने 'पंख' एनजीओ के सहयोग से 26 सितंबर, 2025 को बालिका निकेतन, आटम पहाड़ में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशक और 'पंख' एनजीओ के सह-संस्थापक सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस उत्सव की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शुभ दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना और नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व और बुराई पर अच्छाई की विजय को समझने में मदद करना था। बालिका निकेतन और सेवा निकेतन के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने देवी के नौ रूपों का चित्रण किया, जिसके बाद एक नाटक प्रस्तुत किया गया जिसमें नवरात्रि मनाने के पीछे के कारण को दर्शाया गया-राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय, जो सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद बच्चों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। सभी बच्चों ने मिलकर गरबा खेला और एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बाँटीं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का समापन एक भावपूर्ण संदेश के साथ हुआ जिसमें नवरात्रि द्वारा सिखाए जाने वाले साहस, दया और विश्वास के मूल्य पर ज़ोर दिया गया। दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों और कर्मचारियों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं और यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसे त्योहार मनाए जाएँ, ताकि न केवल त्योहारों की खुशियाँ फैलाई जा सकें, बल्कि बच्चों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के बारे में जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सके।

62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में द्वीपों के चार खिलाड़ी शामिल

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रही है, जिसमें देश भर की बेहतरीन शतरंज प्रतिभाएँ एक साथ आ रही हैं। सबसे प्रतिष्ठित और कठिन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज चैंपियनशिप मानी जाने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 400 प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिनमें लगभग 40 ग्रैंडमास्टर और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स शामिल हैं, जो इसे हाल के वर्षों में सबसे मजबूत प्रतियोगिताओं में से एक बनाता है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए गौरव की बात यह है कि इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के चार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें डब्ल्यूसीएम कस्तूरी बाई आर., जे. एस. विराट, टी. सत्या मूर्ति और वी. यशवंत शामिल हैं। उनकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उच्चतम स्तर पर अमूल्य अनुभव प्रदान करती है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार शीर्ष दस खिलाड़ियों के बीच वितरित की जाने वाली 30 लाख रुपये की कुल पुरस्कार राशि के साथ, इस चैंपियनशिप ने बड़ी उम्मीदें जगाई हैं और बोर्ड पर कड़ी टक्कर का वादा किया है।

विजय नगर स्कूल में शतरंज प्रशिक्षण दिया गया

कैम्पबेल बे, 29 सितंबर

शिक्षा विभाग ने ग्रेट निकोबार के कैम्पबेल बे के विजय नगर स्थित सीआरसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विजय नगर स्कूल परिसर में तीन दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें शोम्पेन जनजाति के विद्यार्थियों ने पहली बार भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन विजय नगर स्कूल की प्रधानाचार्या सुश्री सुलेका ने किया। कार्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण सत्रों में उत्सुकता से भाग लिया। कार्यक्रम का समापन एक प्रदर्शनी मैच के साथ हुआ, जिसमें प्रशिक्षक ने सभी प्रतिभागियों के साथ खेलकर उनके सीखने का आकलन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पदक प्रदान किए गए। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार शोम्पेन जनजाति के विद्यार्थियों, जिन्होंने पहली बार भाग लिया था, को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सराहा गया और उन्हें निरंतर अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपहार और शतरंज सेट प्रदान किए गए।

अनिडको में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन

श्री विजय पुरम, 29 सितंबर

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) में गत 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2025 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा के अंतर्गत 26 सितम्बर, 2025 को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बासुकी नाथ साहा, कंपनी सचिव सह महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) ने किया। विकास भवन, श्री विजय पुरम में आयोजित कार्यक्रम में अनिडको की विभिन्न इकाइयों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कंपनी सचिव सह महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए हिन्दी के महत्व को रेखांकित किया और निगम के दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग पर ज़ोर दिया तथा राजभाषा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासन के द्वारा दिए गए दस अंक का अनुपालन करने की अपील की। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान अनिडको के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कंपनी सचिव सह महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) द्वारा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया एवं इसके अतिरिक्त इस बार प्रतिभागियों के प्रयासों और उत्साह को सम्मानित करने के लिए उपहार भेंट किये गये। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किये और हिंदी दिवस पर प्रकाश डाला।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन-229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
श्री विजय पुरम

सार्वजनिक सूचना

निगम के आईएमएफएल दुकान, हट बे से जुड़े श्री पी मनोज कुमार, मजदूर (प्रशिक्षु) को यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि, उन्हें दिनांक 04/04/2024 से आज तक लगातार अनुपस्थित रहने के लिए 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर उनकी सेवा नियुक्ति आदेश संख्या 352, दिनांक 04/07/2011 के खंड संख्या 9 के अनुसार समाप्त कर दी जाएगी।

महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.)
फा. सं. 2–523/अनिडको/पी एफ/2011/1819

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
श्री विजय पुरम

सार्वजनिक सूचना

निगम के आरओएल, डिगलीपुर से जुड़े श्री एम. के. अन्नादुरई 'सहायक' को यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि उन्हें दिनांक 25/04/2024 से आज तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.)
फा. सं. 2–305/अनिडको/पी एफ/98/।।/1818

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
श्री विजय पुरम

परामर्शदाता की नियुक्ति

अनिडको ने भारत सरकार के मार्गदर्शन में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अनिडको/अंडमान और निकोबार प्रशासन की सहायता के लिए विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। आवश्यक योग्यता और अन्य शर्तों का विवरण वेबसाइट https://andamannicobar.gov.in और https://aniidco.and.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31/10/2025 है। आवेदन महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.), अनिडको, विकास भवन, श्री विजय पुरम –744101 के पते पर भेजे या aniidco@gmail.com में मेल करे। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.), अनिडको

विवरण के लिए संपर्क करें: aniidco@gmail.com, 03192-231193

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025: समुद्री क्षेत्र के लिए व्यापक सुधार कानून

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

बंदरगाहों ने लंबे समय से भारत की आर्थिक गति के मौन इंजन के रूप में कार्य किया है। जैसे–जैसे भारत का विकास हो रहा है, वैसे–वैसे इसके समुद्री बुनियादी ढांचे की रणनीतिक प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक होती जा रही है। लॉजिस्टिक्स से आगे अब पत्तन औद्योगिक गलियारों, रोजगार सृजन और शहरी नवीकरण के लिए एक उत्प्रेरक हैं।

अगस्त, 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 भारत के समुद्री प्रशासन में एक परिवर्तनकारी उपलब्धि है जो एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगो के अनुरूप एक प्रगतिशील, एकीकृत ढांचे के साथ 1908 के भारतीय पत्तन विधेयक की जगह ले रहा है।यह कानून बंदरगाहों को न केवल ट्रांजिट बिंदु के रूप में बल्कि विकास, रोजगार और रणनीतिक संपर्क के इंजन के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पत्तन कानूनों को मजबूत करके और राज्यों को सशक्त बनाकर, यह अधिनियम तटीय राज्यों में सहकारी संघवाद और संरचित विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का पूर्ण क्षमता से दोहन करना, पत्तन प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और घरेलू प्रथाओं को वैश्विक समुद्री मानकों के अनुरूप लाना है। चूंकि भारत वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है, भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पत्तन आधारित विकास के केंद्र में दक्षता, स्थिरता और समावेशी प्रगति को स्थापित करने वाला एक आधारभूत सुधार है।

पत्तन क्यों महत्वपूर्ण हैं: भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 के पीछे का दृष्टिकोण

व्यापार को सुविधाजनक बनाने, औद्योगिक विकास को समर्थन देने और क्षेत्रीय संपर्क को सक्षम बनाकर भारत के विकास में पत्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आयात और निर्यात के लिए रणनीतिक गेटवे के रूप में काम करते हैं, जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश के पत्तन मात्रा के हिसाब से लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत एक्जिम कार्गो का संचालन करते हैं। भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख पत्तन और 200 से अधिक छोटे पत्तन हैं। प्रमुख बंदरगाह पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में काम करते हैं, जबकि छोटे पत्तन संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी प्रमुख पत्तन पूरी तरह से परिचालन में हैं। छोटे बंदरगाहों में, लगभग 65 कार्गो का संचालन करते हैं, जबकि शेष पत्तन सीमा के रूप में कार्य करते हैं, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने के जहाजों और छोटी यात्री नौकाओं को खाड़ी और अंतर्देशीय जलमार्गों के पार सेवा प्रदान करते हैं।

पिछले दशक में, भारत का समुद्री क्षेत्र एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरा है, जो आर्थिक संपर्क और लॉजिस्टिक्स दक्षता के एक प्रमुख वाहक के रूप में उभर रहा है। प्रमुख बंदरगाहों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी संचालन क्षमता और परिचालन प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस गति ने घरेलू व्यापार मार्गों को मजबूत किया है और साथ ही भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी ऊंचा किया है। इस क्षेत्र का विकास भारत के भविष्य को एक समुद्री शक्ति के रूप में आकार देने में बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में अधिनियमित भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 उपनिवेशकालीन के कानून की जगह एक ऐसे आधुनिक ढांचे के साथ एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है जो एकी.त विकास को बढ़ावा देता है, केंद्र–राज्य समन्वय को मजबूत करता है, भारत के पत्तन शासन को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है और भारत की सामरिक समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देता है।

यह अधिनियम इस क्षेत्र में सुधार प्रदान करता है

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पूरे भारत के पत्तन इकोसिस्टम में शासन, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक आधुनिक विनियामक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह वैधानिक निकायों को सशक्त बनाता है, विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करता है, तथा वैश्विक समुद्री मानकों के अनुरूप टैरिफ विनियमन और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करता है।

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 के प्रमुख आधार

पत्तन अधिकारी

विधेयक में सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षक को पत्तन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, तथा उसे अन्य अधिकारियों पर अधिक अधिकार दिए गए हैं।

वैधानिक निकाय

राज्य समुद्री बोर्ड: यह विधेयक तटीय राज्यों द्वारा स्थापित राज्य समुद्री बोर्डों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है तथा उन्हें छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ये बोर्ड पत्तन योजना, बुनियादी ढाँचे के विकास, लाइसेंसिंग, शुल्क विनियमन और सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण अनुपालन के प्रवर्तन की निगरानी करेंगे।

समुद्री राज्य विकास परिषद: यह विधेयक समुद्री राज्य विकास परिषद को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। परिषद बंदरगाहों में डेटा संग्रह और प्रसार और पारदर्शिता का मार्गदर्शन करेगी और राष्ट्रीय योजना, विधायी सुधारों, पत्तन दक्षता और कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार को सलाह देगी।

विवाद समाधान तंत्र

छोटे बंदरगाहों, रियायत प्राप्त करने वालों, उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए राज्य सरकारों को विवाद समाधान समितियों (डीआरसी) की स्थापना करनी चाहिए। यह अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए न कि सिविल न्यायालयों में। बोर्ड मध्यस्थता या अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की भी अनुमति दे सकते हैं। इससे विवाद का तेजी से समाधान हो सकेगा।

टैरिफ विनियमन

प्रमुख बंदरगाहों पर टैरिफ का निर्धारण या तो प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा या यदि पत्तन एक पंजीकृत कंपनी के रूप में संचालित होता है तो निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। छोटे पत्तन के लिए, टैरिफ निर्धारण का अधिकार राज्य समुद्री बोर्ड या उसके नामित रियायतकर्ता के पास होगा। इसके अलावा, भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 में पारदर्शिता के लिए टैरिफ और शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा और स्थिरता

यह अधिनियम सुरक्षा उल्लंघनों जैसे कि नौकाओं को नुकसान पहुंचाने या जहाज पर ज्वलनशील पदार्थों को गलत तरीके से रखने के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह वैश्विक सम्मेलनों (एमएआरपीओएल, बैलेस्ट वॉटर मैनेजमेंट) के अनुरूप और प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए नई बाध्यकारीताओं को लागू करके पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करता है। केंद्र सरकार अपशिष्ट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट आयोजित करेगी।

ये उपाय कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करने, समन्वित पत्तन विकास को बढ़ावा देने और व्यापार दक्षता में वृद्धि करके भारत के समुद्री क्षेत्र में बदलाव करेंगे। इनके साथ संस्थागत सुधार राज्यों को सशक्त बनाएंगे और राज्य समुद्री बोर्ड और समुद्री राज्य विकास परिषद जैसे समर्पित निकायों के माध्यम से रणनीतिक योजना को बढ़ावा देंगे। पत्तन संचालन में सुधार लाने में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत समुद्री सिंगल विंडो और एडवांस्ड वेसल ट्रैफिक सिस्टम जैसी पहल की गई है, जिससे दक्षता को बढ़ाने, भीड़भाड़ और कम परिचालन लागत में मदद मिलेगी।

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 के परिवर्तनकारी प्रभाव

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पत्तन कानूनों के आधुनिकीकरण, विकास को बढ़ावा देने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक समयबद्ध और परिवर्तनकारी कदम के रूप में उभरा है। यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत शासन निकाय स्थापित करता है, बंदरगाहों पर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। यह विवादों के कुशलतापूर्वक निपटान के लिए प्रणालियां भी शुरू करता है।

एकीकरण और विकास

यह पूरे भारत में पत्तन से संबंधित कानूनों को एकी.त और अद्यतन करता है। यह देश भर में बंदरगाहों के एकीकृत और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देता है। समुद्री क्षेत्र में कारोबार करने की आसानी को बढ़ाता है। भारत की व्यापक तटरेखा का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है।

संस्थागत मजबूती

छोटे बंदरगाहों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को स्थापित और सशक्त बनाना। राज्यों में संरचित विकास और समन्वय का मार्गदर्शन करने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना। सुरक्षा,

स्थिरता और अनुपालन

प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन तैयारी, पत्तन सुरक्षा और

संरक्षा

नौवहन प्रणालियाँ और पत्तन–संबंधी डेटा, यह सुनिश्चित करता है कि भारत प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे।

पर्यावरण संरक्षण

पत्तन इकोसिस्टम और अवसंरचना के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपाय शुरू करना।

विवाद समाधान

पत्तन से संबंधित विवादों को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी ढंग से हल करने के लिए सहायक तंत्र बनाता है।

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 का पारित होना भारत की समुद्री यात्रा में एक निर्णायक क्षण है जो भविष्य के लिए तैयार ढांचे की शुरुआत करता है जो उपनिवेशकालीन कानून को आधुनिक, पारदर्शी और विकास उन्मुख .ष्टिकोण के साथ प्रतिस्थापित करता है। यह अधिनियम एकीकृत पत्तन विकास, सहकारी संघवाद और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। यह सांस्थानिक क्षमता, सुव्यवस्थित गवर्नेंस और सामुद्रिक प्रचालनों के केंद्र में निरंतरता को मजबूत करता है।

भारत 2047 तक विकसित भारत की ओर अग्रसर है, यह कानून एक आधारभूत सुधार के रूप में सामने आया है, यह तटीय राज्यों को सशक्त बनाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और व्यापार दक्षता को बढ़ाएगा। एक कानून को आधुनिकतम बनाने से अधिक, यह पत्तन को राष्ट्रीय प्रगति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समावेशी विकास के इंजन में बदलने की रूपरेखा है। डिजिटलीकरण, पर्यावरण संरक्षण और संरचित योजना पर बल देने के साथ, भारतीय पत्तन विधेयक भारत के समुद्री क्षेत्र को न केवल कार्गो मात्रा में बल्कि नवाचार, मजबूती प्रदान करने और वैश्विक नेतृत्व में भी अग्रणी बनाता है। (पीआईबी)

अगस्त 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4 फीसदी बढ़ा, खनन और निर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) अगस्त 2025 में 4.0 प्रतिशत की साल–दर–साल वृद्धि दर्ज की है, जिसमें खनन और कुछ प्रमुख निर्माण क्षेत्रों ने अहम योगदान दिया। खनन क्षेत्र में 6 प्रतिशतकी वृद्धि हुई, जबकि निर्माण और बिजली क्षेत्र में क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं अगस्त 2025 के लिए IIP का क्विक अनुमान 151.7 रहा, जो अगस्त 2024 के 145.8 के मुकाबले अधिक है। निर्माण क्षेत्र में, "मूल धातुओं का निर्माण" 12.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, "मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी–ट्रेलर का निर्माण" 9.8 प्रतिशत बढ़ा, और "कोक और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण" 5.4 प्रतिशत बढ़ा। मूल धातुओं में प्रमुख योगदान देने वाले उत्पाद– डै स्लैब, HR कॉइल और माइल्ड स्टील की शीट, और स्टील पाइप और ट्यूब शामिल हैं। वहीं मोटर वाहनों में ऑटो कंपोनेंट्स, एक्सल और कमर्शियल वाहन मुख्य योगदानकर्ता रहे। पेट्रोलियम उत्पादों में डीजल, पेट्रोल और LPG ने वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर, निर्माण क्षेत्र की 23 उद्योग समूहों में से 10 ने अगस्त 2025 में अगस्त 2024 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। अगस्त 2025 के लिए क्षेत्रवार IIP इंडेक्स इस प्रकार रहेः खनन 113.5, निर्माण 151.6 और बिजली 221.1। सामान्य इंडेक्स 151.7 रहा। जुलाई 2025 का क्विक अनुमान 156.2 पर संशोधित किया गया है, जिसमें स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़े शामिल हैं। उपयोग–आधारित वर्गीकरण के मुताबिक, अगस्त 2025 के लिए सूचकांक इस प्रकार रहे, प्राथमिक वस्तुएं 148.9, पूंजीगत वस्तुएं 112.1, मध्यवर्ती वस्तुएं 170.4, बुनियादी ढांचा/निर्माण वस्तुएं 200.8, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 134.4 और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं 132.8।

चैटजीपीटी को लोग कोडिंग के लिए नहीं, इन 3 कामों के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इस्तेमाल– रिसर्च

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। कर रहे हैं।

क्या आप सोचते हैं कि ChatGPT सिर्फ कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए बना है? अगर हां, तो OpenAI की नई स्टडी आपको हैरान कर सकती है. दुनिया भर में करोड़ों लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसे काम के लिए यूज़ करता है, तो कोई अपनी रचनात्मकता को उड़ान देने के लिए.

लेकिन हाल ही में OpenAI द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लोग ChatGPT का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोडिंग के लिए नहीं, बल्कि तीन बेहद आम और जरूरी कामों के लिए कर रहे हैं.

OpenAI ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट डेविड डेमिंग के साथ मिलकर यह वर्किंग पेपर तैयार किया है. यह अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन माना जा रहा है, जिसमें 1.5 मिलियन (15 लाख) यूज़र्स की बातचीत को गोपनीयता बनाए रखते हुए विश्लेषण किया गया. रिसर्च का मकसद था ये समझना कि आखिर लोग एआई टूल्स का रियल वर्ल्ड में कैसे और किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल

लगभग आधे यूज़र्स ChatGPT को एक जानकार साथी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. ये लोग सवाल पूछते हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान से जुड़े हों, किसी जटिल विषय को समझने के लिए हों, या फिर करियर और पढ़ाई से जुड़े हों. लगभग 40 प्रतिशत लोग ChatGPT का इस्तेमाल प्रैक्टिकल कामों में मदद के लिए कर रहे हैं, जैसे ईमेल ड्राफ़्ट करना, प्लानिंग करना, डॉक्युमेंट तैयार करना या टास्क मैनेजमेंट. बाकी 11 प्रतिशत यूज़र्स ChatGPT को अपनी भावनाएं या विचार व्यक्त करने, बातचीत करने, या किसी पर्सनल सपोर्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं. यहां एआई टूल एक तरह का इमोशनल आउटलेट बन जाता है.

इस स्टडी से साफ है कि ChatGPT की छवि अब केवल टेक्निकल टूल या कोडिंग असिस्टेंट की नहीं रही. यह अब एक जनरल परपज़ डिजिटल साथी बन गया है, जो आपके सवालों का जवाब भी देता है, आपके काम में हाथ भी बंटाता है और ज़रूरत हो तो सुनता भी है.

इतिहास के पन्नों में 30 सितंबर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1687–औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया।
1947–पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए।
1984–उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएं खोली गईं।
1993–भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकम्प के कारण 10,000 हजार से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए।
2001–इजराइल की आतंरिक मंत्रिपरिषद ने फिलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी।
2002–पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा, चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की।
2003–विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चौम्पियनशिप जीती।
2004–चीनी दार्शनिक कन्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गयी।
2005–समाचार एजेंसी रायटर ने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया।
2007–परवेज मुशर्रफ को दुबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदों–विधायकों ने त्यागपत्र दिया।
2007–संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गांबरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की।
2007–पॉप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकम्प से हुए तबाही के लिए 159.1 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की।
2009–प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।
2010–इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक–एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया।
2020–बाबरी मस्जिद मामले का आया फैसला

जन्म

1837–पंडित श्रद्धाराम शर्मा– हिन्दी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी।
1861–गुरुजाडा अप्पाराव– प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार।
1893–वी. पी. मेनन – भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे।1894–आर. आर. दिवाकर – भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज शुल्क में किया संशोधन

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज शुल्क में संशोधन किया है। विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएँ शुरू की हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित शुल्क पहली अक्तूबर से प्रभावी होगा। स्थानीय क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट के लिए, पचास ग्राम तक वजन के लिए नया शुल्क 19 रुपये होगा। 50 ग्राम से 250 ग्राम तक के लिए 24 रुपये और 250 से 500 ग्राम से अधिक के लिए शुल्क 28 रुपये होगा। इसके अलावा, 200 किलोमीटर से दो हजार किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं पर 47 रुपये का शुल्क लगेगा।

वहीं, 200 किलोमीटर के लिए 50 ग्राम से 250 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं के लिए न्यूनतम शुल्क 59 रुपये और दो हजार किलोमीटर से अधिक के लिए 77 रुपये लगेगा। स्पीड पोस्ट के शुल्क में भी दूरी के आधार पर 70 से 93 रुपये तक की सीमा में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट वस्तुओं पर भी जीएसटी लागू होगा।

विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट शुरू की गई है। इसके अलावा, नए थोक ग्राहकों को पांच प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट शुल्क में पिछली बार अक्तूबर 2012 में संशोधन किया गया था।

संचार मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट के लिए शुरू की गई नई सुविधाओं में ओटीपी–आधारित सुरक्षित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस–आधारित डिलीवरी सूचनाएं और रीयल–टाइम डिलीवरी अपडेट शामिल हैं।

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान में अब तक 9 लाख स्वास्थ्य शिविर, 3.6 करोड़ लोगों की हुई जांच

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को बताया कि 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत पूरे देश में अब तक 9 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं।

उन्होंने राजधानी में एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि इन शिविरों में अब तक 3.6 करोड़ से अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और अन्य गैर–संक्रामक बीमारियों की जांच की जा चुकी है। नड्डा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुई थी और यह गांधी जयंती तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2 तक यह आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर पहुँच सकता है। देशभर के इन स्वास्थ्य शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, मुँह के कैंसर और एनीमिया की जांच की गई है। साथ ही, गर्भवती महिलाओं के लिए जांच, बच्चों को जीवन रक्षक टीके, और परिवारों को पोषण पर सलाह भी दी गई। इसके अलावा, इन शिविरों में तपेदिक और सिक्ल सेल डिजीज की जांच, रक्तदाता पंजीकरण और नए आयुष्मान/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जारी किए गए।

नड्डा ने कहा कि पिछले दस साल में देश की स्वास्थ्य नीति में बदलाव हुआ है और 2014 के बाद से एक समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, पहचान, इलाज और देखभाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दिशा में सरकार ने 1,79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जो 140 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ने का पहला कदम हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी महिला को गर्भधारण होता है, तो । कार्यकर्ता उनकी सेहत, जांच और देखभाल की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करती हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि संस्थागत प्रसव की दर अब 79 प्रतिशत से बढ़कर करीब 90 प्रतिशत हो गई है। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना और हर मातृ प्रसव को मुत बनाना है, जिसमें अस्पताल आने–जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जाती है। अंत में उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान और खेलो इंडिया जैसे स्वास्थ्य एवं जीवनशैली सुधार कार्यक्रमों का जिक्र किया और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सुधार और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता को भी सराहा।

2024 में भारतीय परिवारों की संपत्ति 8 साल की सबसे तेज़ रतार से बढ़ीः रिपोर्ट

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

भारतीय परिवारों की वेल्थ 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और इसमें बीते 8 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। एलियांज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में बताया गया कि 2024 में भारतीय परिवारों की वेल्थ 14.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जो देश में तेजी से बढ़ती मध्यम वर्ग की क्षमता को दिखाता है। करीब 60 देशों को कवर करने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले दो दशकों में भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति वित्तीय संपत्ति पांच गुना बढ़ी है, जो किसी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले साल प्रतिभूतियों में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जो 28.7 प्रतिशत थी, जबकि बीमा और पेंशन में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंक डिपॉजिट में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारतीय परिवारों के पोर्टफोलियो का 54 प्रतिशत हिस्सा बैंक डिपॉजिट से आता है। ऐसे में इसमें वृद्धि बढ़ती बचत को दिखाती है। रिपोर्ट में कहा गया, "वास्तविक रूप से मुद्रास्फीति के बाद फाइनेंशियल एसेट्स में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे क्रय शक्ति महामारी–पूर्व स्तर से 40 प्रतिशत ऊपर पहुंच गई है। यह पश्चिमी यूरोप से बिल्कुल

अलग है, जहां क्रय शक्ति 2019 से 2.4 प्रतिशत कम बनी हुई है। 2024 में प्रति भारतीय नेट फाइनेंशियल एसेट्स 2,818 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है।

भारत की प्रति व्यक्ति नेट फाइनेंशियल एसेट्स 15.6 प्रतिशत बढ़कर 2,818 डॉलर पर पहुंच गई है। वहीं, देनदारी की वृद्धि दर 12.1 प्रतिशत रही, जिससे परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 41 प्रतिशत रहा। 2024 में अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स वृद्धि का आधा हिस्सा हासिल किया। पिछले दशक में अमेरिकी परिवारों ने दुनिया भर में 47 प्रतिशत संपत्ति वृद्धि उत्पन्न की है, जबकि चीन में यह 20 प्रतिशत और पश्चिमी यूरोप में 12 प्रतिशत है।

भारत विश्व में दूध उत्पादन में शीर्ष पर, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास में अहम योगदान

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

भारत कई वर्षों से विश्व में दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान बनाए हुए है और वैश्विक दूध आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा प्रदान करता है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डेयरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को रोजगार देता है।

अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील जैसे देशों से कहीं आगे

पिछले दशक में भारत का डेयरी क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, दूध उत्पादन 2014–15 में 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2023–24 में 239.3 मिलियन टन हो गया, जो 63.56 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। इसका मतलब है कि देश ने पिछले 10 वर्षों में 5.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील जैसे देशों से कहीं आगे है।

प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी उल्लेखनीय वृद्धि

प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023–24 में यह 471 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई, जो वैश्विक औसत 322 ग्राम से कहीं अधिक है। यह 48 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में 303.76 मिलियन मवेशी, जिनमें गाय, भैंस, मिथुन और याक शामिल हैं, डेयरी उत्पादन का आधार हैं। इसके अलावा, 74.26 मिलियन भेड़ और 148.88 मिलियन बकरियां, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में, दूध

उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 2014 से 2022 के बीच मवेशियों की उत्पादकता में 27.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक औसत 13.97 प्रतिशत से कहीं अधिक है और चीन, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देशों से भी आगे है।

महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। लगभग 70 प्रतिशत कार्य महिलाएं संभालती हैं और 35 प्रतिशत महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों में सक्रिय हैं। देश भर में 48,000 से अधिक महिला–नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्यरत हैं, जो समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं।

सहकारी डेयरी क्षेत्र की ताकत

भारत का सहकारी डेयरी ढांचा विश्व में सबसे व्यापक और सुव्यवस्थित है। 2025 तक, इसमें 22 मिल्क फेडरेशन, 241 जिला सहकारी संघ, 28 मार्केटिंग डेयरी और 25 मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन शामिल हैं, जो 2.35 लाख गांवों को कवर करते हैं और 1.72 करोड़ डेयरी किसानों को जोड़ते हैं।यह क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत में समावेशी और सतत विकास का एक मजबूत मॉडल भी प्रस्तुत कर रहा है।

आयुर्वेद आहार निर्माण के लिए एफएसएसएआई ने फूड सेटी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल पर लॉन्च किया नया लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए फूड सेटी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल पर विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू की है। इस कदम के साथ अब देशभर के निर्माता पारंपरिक आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए सुगमता से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक मानकों का संगम

एफएसएसएआई द्वारा लाया गया यह नया Kind of Business फ्रेमवर्क आयुर्वेद आहार क्षेत्र को औपचारिक और संगठित रूप प्रदान करेगा। इसके तहत प्रामाणिक आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लिखित व्यंजनों और आहार विधियों को आधुनिक खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के साथ जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था न केवल खाद्य और आयुर्वेद उद्योग को बढ़ावा देगी, बल्कि उपभोक्ताओं को प्रमाणित और सुरक्षित आयुर्वेदिक आहार उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी।

व्यक्तिगत पोषण पर जोर

आयुर्वेद का मूल सिद्धांत "व्यक्तिगत पोषण" है, जिसमें आहार व्यक्ति की प्र.ति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एफएसएसएआई का यह कदम पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नियामक ढांचे में शामिल कर, लोगों तक वैज्ञानिक और सुरक्षित आयुर्वेद आहार पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

आयुर्वेद चिकित्सा योजनाओं को बल

मानकीकृत और प्रमाणित आयुर्वेद आहार की उपलब्धता, न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगी बल्कि आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा सुझाई गई उपचार योजनाओं के प्रभाव को भी सशक्त करेगी।

फार्मा पर 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात पर नहीं होगा कोई असर : एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फार्मा उत्पादों के आयात पर लगाए गए 100 प्रतिशत टैरिफ से भारत से होने वाले निर्यात पर कुछ खास असर नहीं होगा। यह जानकारी एक्सपर्ट्स की ओर से शुक्रवार को दी गई।

एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका द्वारा फर्मा उत्पादों के आयात के लिए लगाया गया 100 प्रतिशत टैरिफ केवल ब्रांडेड और पेटेंट की हुई दवाओं के लिए है। यह जेनेरिक दवाओं के लिए नहीं है और भारत की ओर से अमेरिका को निर्यात होने वाली दवाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी जेनेरिक दवाओं की है।

फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा, "ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स आयात पर प्रस्तावित 100 प्रतिशत टैरिफ का भारतीय निर्यात पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे निर्यात का अधिकांश हिस्सा जेनेरिक दवाओं से आता है, जबकि अधिकांश बड़ी भारतीय कंपनियां पहले से ही अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग या रीपैकेजिंग इकाइयां संचालित कर रही हैं और आगे अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रही हैं।"

इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, "कार्यकारी आदेश अमेरिका को आपूर्ति किए जाने वाले पेटेंट/ब्रांडेड उत्पादों पर लागू होता है। यह जेनेरिक दवाओं पर लागू नहीं होता।"

वर्तमान में, भारत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45 प्रतिशत से अधिक जेनेरिक और 15 प्रतिशत बायोसिमिलर दवाओं की आपूर्ति करता है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है। फार्मेक्सिल के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत के 27.9 अरब डॉलर मूल्य के दवा निर्यात में से 31 प्रतिशत या 8. 7 अरब डॉलर (7,72,31 करोड़ रुपए) अमेरिका को किया गया था। 2025 की पहली छमाही में ही 3.7 अरब डॉलर (32,505 करोड़ रुपए) मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया गया।

जोशी ने कहा, "भारत लंबे समय से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का

आधार रहा है और खासकर जेनेरिक दवाओं में अमेरिका की लगभग 47 प्रतिशत दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।" एआईएमईडी के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "उम्मीद है कि दवाओं पर टैरिफ के इस नए दौर का चिकित्सा उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

अमेरिकी प्रशासन की नई घोषणा के बाद, दवा कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई। सन फार्मा, बायोकॉन, जाइडस लाइफसाइंसेज, अरबिंदो फार्मा, डॉ. रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला और टोरेंट फार्मा जैसी प्रमुख दवा कंपनियों के शेयर लाल निशान में थे।

जनभागीदारी से बदल रही तस्वीरः स्वच्छोत्सव 2025 से जुड़ रहे लाखों लोग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

देश में एक बार फिर स्वच्छता का महाअभियान चल रहा है। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला 'स्वच्छता ही सेवा–2025' अभियान, जिसे इस बार स्वच्छोत्सव नाम दिया गया है, लाखों लोगों को सफाई और जागरूकता गतिविधियों से जोड़ रहा है।

गांधी जयंती से शुरू हुई यात्रा

2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, तो मकसद केवल सड़कें और नालियां साफ करना नहीं था। यह अभियान आदतों को बदलने, सोच को नया रूप देने और जीवन में गरिमा स्थापित करने की दिशा में कदम था। उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज स्वच्छोत्सव देशभर को एकजुट कर रहा है।

एक दिन, एक घंटा, एक साथ

25 सितम्बर को पूरे देश में लोगों ने "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" श्रमदान किया। शहरों और गाँवों में सफाई अभियान, कूड़ा उठाने की गतिविधियाँ और जागरूकता रैलियाँ हुईं। इसमें आम नागरिकों के साथ राजनीतिक नेताओं, युवा समूहों, NGO और सफाई कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। स्थानीय सफाई कर्मियों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया।

कचरे से संसाधन की ओर

2014 में जहाँ केवल 16 प्रतिशत कचरे का प्रसंस्करण हो रहा था, वहीं आज यह आँकड़ा 81 प्रतिशत से ज़्यादा तक पहुँच चुका है। 2,492 लाख टन जमा कचरे में से 1,437

लाख टन का उपचार हो चुका है, जिससे करीब 7,600 एकड़ जमीन को फिर से उपयोगी बनाया गया है। दिल्ली का भलस्वा लैंडफिल और आगरा का कुबेरपुर कूड़ास्थल अब हरित स्थलों और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों में बदल रहे हैं।

मंत्रालयों का योगदान इस अभियान में अलग–अलग मंत्रालय भी सक्रिय हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने दतरों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय ने सफाई शपथ और सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। सहकारिता मंत्रालय ने वृक्षारोपण और स्वच्छता शिविर लगाए। इसी तरह पत्तन व पोत परिवहन मंत्रालय ने तटीय इलाकों और डॉकयार्ड्स में सफाई अभियान चलाया।

सफलता की कहानियाँ

स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कई राज्यों ने बड़ी उपलब्धियाँ दर्ज की हैं।जम्मू–कश्मीरः अमरनाथ यात्रा 2025 को पहली बार प्लास्टिक–मुक्त और शून्य–लैंडफिल बनाया गया।असमः महिलाओं ने जलकुंभी से हस्तशिल्प और उद्यम बनाकर आजीविका कमाई। उत्तर प्रदेशः आगरा के कुबेरपुर डंपसाइट को इको–हब और शैक्षिक केंद्र में बदला गया।

जनआंदोलन बनता अभियान

12 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जिससे खुले में शौच की समस्या में कमी आई और महिलाओं की गरिमा बढ़ी। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन ने पाँच साल से कम उम्र के लगभग 3 लाख बच्चों को जीवनदान दिया है।

संस्कृति का रूप लेती स्वच्छता

स्वच्छोत्सव 2025 केवल सफाई तक सीमित नहीं है। यह अभियान नागरिकों को याद दिलाता है कि स्वच्छता अब एक आदत और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। यही भावना आने वाले वर्षों में भारत को न केवल स्वच्छ बनाएगी, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को भी मज़बूत आधार देगी।

जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के नाम स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, 29 सितम्बर।

भारत की अनुष्का ठोकुर ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में कल महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री–पोज़िशन में स्वर्ण पदक जीता लिया है। नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह रेंज में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में जीत के बाद ठोकुर का इस प्रतियोगिता में यह दूसरा स्वर्ण पदक था। पुरुषों की 50 मीटर थ्री–पोज़िशन स्पर्धा में, एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता। भारत चार स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'